SWAMI VIVEKANANDA MAHILA MAHAVIDHYALAYA, ROOPANGARH

FACULTY NAME : MS.FARAH

COURSE : BA II YEAR

PAPER : INDIAN POLITICAL SYSTEM

SUBJECT : POLITICAL SCIENCE

UNIT : II

CHAPTER NAME : PRESIDENT

SESSION NAME : EMERGENCY POWERS OF PRESIDENT

पुनरावलोकन (RECAP)

- राष्ट्रपति की पद स्थिति
- राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली
- राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां

सत्र रूपरेखा (SESSION AGENDA)

- राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां
- आपातकाल लगाने के कारणों का उल्लेख

शिक्षण उद्देश्य (TEACHING OBJECTIVE)

- छात्राएं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी |
- आपातकालीन घोषणा के प्रभावों से अवगत होगी |

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां

भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद **352** से **360** तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है | संविधान के अंतर्गत तीन प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है |

अनुच्छेद 352

युद्ध , बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा |

<u>प्रभाव</u>

- समस्त प्रशासनिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में
- संसद द्वारा संपूर्ण देश के लिए कानून का निर्माण

अनुच्छेद 356

राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की घोषणा पर आपातकाल |

<u>प्रभाव</u>

- संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार
- राज्यों के कार्यपालन संबंधी अधिकार गवर्नर और राष्ट्रपति के पास

अनुच्छेद 360

देश के आर्थिक स्थायित्व या उसकी साख को खतरा उत्पन्न होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा |

<u>प्रभाव</u>

- केंद्र राज्य के बीच वित्त संबंधी बंटवारे में संशोधन
- कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कमी

THANK YOU